Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 13 / 199

किशना आयु 80 वर्ष आत्मज मान्या जाति मीणा निवासी खाकटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. फूल्या आत्मज कालू जाति मीणा निवासी खाकटा तहसील इन्द्रगढ ।
2. मुरलीधर आत्मज जवाहरलाल जाति मीणा निवासी खाकटा ।
3. सियाराम आत्मज जवाहरलाल जाति मीणा निवासी खाकटा ।
4. तुलसा पुत्री जवाहरलाल जाति मीणा निवासी खाकटा ।
5. जशोदा पुत्री जवाहरलाल जाति मीणा निवासी खाकटा ।
6. ललिता पुत्री जवाहरलाल जाति मीणा निवासी खाकटा ।
7. देबाई बेवा जवाहरलाल जाति मीणा निवासी खाकटा ।
8. धनराज आत्मज रामनाथ जाति मीणा निवीस खाकटा तहसील इन्द्रगढ ।
9. बद्रीलाल आत्मज रामनाथ जाति मीणा निवासी खाकटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
10. बून्दी जिला सहकारी सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा बून्दी ।
11. बैंक ऑफ बडौदा शाखा प्रबन्धक शाखा लबान तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

—प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय दिनांक 20.07.2011 एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.08.2011 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 16 / दावा / 2010

फूल्या आत्मज कालू जाति मीणा निवासी खाकटा तहसील इन्द्रगढ ।

—वादी

बनाम

1. मुरलीधर आत्मज जवाहरलाल जाति मीणा निवासी खाकटा ।
2. सियाराम आत्मज जवाहरलाल जाति मीणा निवासी खाकटा ।
3. तुलसा पुत्री जवाहरलाल जाति मीणा निवासी खाकटा ।
4. जशोदा पुत्री जवाहरलाल जाति मीणा निवासी खाकटा ।
5. ललिता पुत्री जवाहरलाल जाति मीणा निवासी खाकटा ।
6. देवबाई बेवा जवाहरलाल जाति मीणा निवासी खाकटा ।
7. धनराज आत्मज रामनाथ जाति मीणा निवीस खाकटा तहसील इन्द्रगढ ।
8. बद्रीलाल आत्मज रामनाथ जाति मीणा निवासी खाकटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
9. किशनलाल आत्मज मान्या जाति मीणा निवासी खाकटा ।
10. बून्दी जिला सहकारी सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा बून्दी ।
11. बैंक ऑफ बडौदा शाखा प्रबन्धक शाखा लबान तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.07.2011 एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.08.2011 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 09.10.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री सुरेश कुमार एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री महेन्द्र जैन के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक दिनांक 20.07.2011 एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.08.2011 बहाल रखे जाते हैं ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 09.10.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 13/199

किशना आयु 80 वर्ष आत्मज मान्या जाति मीणा निवासी खाकटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. फूल्या आत्मज कालू जाति मीणा निवासी खाकटा तहसील इन्द्रगढ ।
2. मुरलीधर आत्मज जवाहरलाल जाति मीणा निवासी खाकटा ।
3. सियाराम आत्मज जवाहरलाल जाति मीणा निवासी खाकटा ।
4. तुलसा पुत्री जवाहरलाल जाति मीणा निवासी खाकटा ।
5. जशोदा पुत्री जवाहरलाल जाति मीणा निवासी खाकटा ।
6. ललिता पुत्री जवाहरलाल जाति मीणा निवासी खाकटा ।
7. देबाई बेवा जवाहरलाल जाति मीणा निवासी खाकटा ।
8. धनराज आत्मज रामनाथ जाति मीणा निवीस खाकटा तहसील इन्द्रगढ ।
9. बद्रीलाल आत्मज रामनाथ जाति मीणा निवासी खाकटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
10. बून्दी जिला सहकारी सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा बून्दी ।
11. बैंक ऑफ बडौदा शाखा प्रबन्धक शाखा लबान तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री सुरेश कुमार, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेन्द्र जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 09.10.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.07.2011 एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.08.2011 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन

किया कि ग्राम खाकटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में खसरा नम्बर 106 रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 158 रकबा 4.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 160 रकबा 1.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 165 रकबा 1.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 206 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 210 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 211 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 212 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 213 रकबा 0.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 400 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 402 रकबा 0.38 हैक्टर, खसरा नम्बर 454 रकबा 0.51 हैक्टर, खसरा नम्बर 458 रकबा 0.94 हैक्टर, खसरा नम्बर 549 रकबा 0.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 606 रकबा 0.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 670 रकबा 1.81 हैक्टर कुल 16 किता की 13.90 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि में वादी का हिस्सा 1/3, प्रतिवादी क्रम 1 से 5 का हिस्सा 1/9 और प्रतिवादी क्रम 07 व 08 का हिस्सा 2/9 व प्रतिवादी क्रम 09 का हिस्सा 1/3 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है । वादग्रस्त आराजी वर्तमान में शामलाती खाते में दर्ज है मोके पर पक्षकारान ने आपसी बंटवारा कर रखा है । उसी अनुसार अपने–अपने हिस्से पर मौके पर काबिज काश्त हैं। उक्त आराजी संयुक्त खाते में दर्ज होने से पक्षकारान को पिलाई, लगान आदि अदा करने में परेशानी होती है । वादी उक्त भूमि को विधिवत विभाजन कराना चाहते है।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत रूप से बंटवारा किया जाकर वादी के हिस्से 1/3 की आराजी को पृथक राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम दर्ज किया जावे जो आराजी जिस पक्षकार के हिस्से में आये उस आराजी का कब्जे में रद्दोबदल किया जावे एवं उसी अनुसार नक्शे में तरमीम की जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20.07.2011 एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.08.2011 को जारी कर दी तथा दिनांक 15.03.2012 को अंतिम डिक्री पारित कर दी ।

5. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि निर्णय दिनांक 20.07.2011 एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 11.08.2011 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 15.03.2012 के खिलाफ यह अपील पेश की गई है । उक्त अपील प्रारम्भिक डिक्री के खिलाफ मानी जाकर निर्णय पारित किया जावे । तद्नुसार इस न्यायालय के द्वारा प्रारम्भिक डिक्री के खिलाफ ही अपील का निर्णय किया जा रहा है ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.07.2011 एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.08.2011 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी क्रम 09 किशना ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर तनकीयात कायम नहीं की है और वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 की साक्ष्य बन्द होने के बाद अपीलान्ट को अपने अभिवचनों के समर्थन में साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया गया जबकि प्रतिवादी क्रम 09 अपीलान्ट के द्वारा साक्ष्य पेश करने हेतु मौखिक रूप से निवेदन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री में पक्षकारान के हिस्से तय नहीं किये है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.07.2011 एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.08.2011 निरस्त फरमाये जावें ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट ने अपनी ओर से पैरवी करने हेतु श्री रामहेत मीणा एडवोकेट

को नियुक्त कर रखा था तथा अपीलान्ट की वृद्धावस्था होने के कारण उसके अधिवक्ता ने अपीलान्ट को हिदायत दी कि आपको प्रत्येक तारीख पेशी पर हाजिर होने की आवश्यकता नहीं है आवश्यकता होने पर सूचित कर दिया जावेगा परन्तु उनकी ओर से अपीलान्ट को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई । दिनांक 25.06.2013 को पटवारी हल्का वादग्रस्त आराजी का विभाजन करने हेतु आये और अपीलान्ट को बुलाया तब अपीलान्ट को पटवारी हल्का ने बताया कि वादग्रस्त आराजी का विभाजन कर दिया गया है । इसके बाद अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में आया और पत्रावली तलाश करने पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की जानकारी हुई जिस पर दिनांक 27.06.2013 को नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो दिनांक 28.06.2013 को प्राप्त हुई । उसके उपरान्त यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है जिसमें अपीलान्ट प्रतिवादी के द्वारा जवाबदावा पेश कर कथन किया है कि प्रतिवादी पूर्वजों के समय से ही अपनी कब्जेशुदा आराजी पर कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं, कब्जे के अनुसार बंटवारा किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 20.07.2011 को निर्णय पारित कर दिया और दिनांक 11.08.2011 को प्रारम्भिक डिक्री पारित की । तनकीयात कायम नही की गई हैं । वादी रेस्पोडेन्ट की साक्ष्य बन्द करने के उपरान्त उन्हें साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । पक्षकारान के हिस्से तय नहीं किये हैं, पक्षकारान ने मौके पर बंटवारा कर रखा है और अपने-अपने हिस्से पर काबिज हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.07.2011 एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.08.2011 निरस्त फरमाये जावें । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 2013 (3) पेज 1172, आरएलडब्ल्यू 2012 (1) पेज 368 उद्धरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में इकबालिया जवाब पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने हिस्से के अनुसार बंटवारे की प्रारम्भिक डिक्री पारित की है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । अपील अवधि बाधित है, विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया गया है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.07.2011 एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.08.2011 बहाल रखे जावें ।

11. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा एक दावा विभाजन का पेश किया है जिसमें अपीलान्ट प्रतिवादी क्रम 09 के रूप में पक्षकार है । अपीलान्ट के द्वारा जो जवाबदावा पेश किया गया है उसमें बिन्दु संख्या 02 में कथन किया गया है कि वादपत्र के अनुसार बंटवारे में कोई आपत्ति नहीं की गई है और उसके उपरान्त उनके द्वारा यह अंकित किया गया है कि कब्जे के अनुसार बंटवारा करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है । जहॉ तक प्रारम्भिक डिक्री का प्रश्न है उसमें हिस्से तय किये जाते हैं और कब्जे के आधार पर बंटवारा अंकित डिक्री में किया जाता है । अपीलान्ट के द्वारा यह अपील प्रारम्भिक डिक्री के खिलाफ पेश किया जाना अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया है । प्रारम्भिक डिक्री में मात्र हिस्से तय होते हैं । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो प्रारम्भिक डिक्री जारी की है वो हिस्से के अनुसार ही जारी की गई है। अपीलान्ट के द्वारा अपील में ऐसा कोई कथन नहीं किया है और न ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है जिससे साबित हो कि उनका वादग्रस्त आराजी में हिस्सा, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से से भिन्न है । जहॉ तक तनकी कायम करने का प्रश्न है इकबाली जवाब पेश होने के उपरान्त तनकीयात कायम किया जाना आवश्यक नहीं है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । अतः प्रारम्भिक डिक्री के खिलाफ अपील अपीलान्ट खारिज होने योग्य है ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक दिनांक 20.07.2011 एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.08.2011 बहाल रखा जाते हैं ।

14. निर्णय आज दिनांक 09.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9/10/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा